न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 64/23 GCMS NO 2023/144

1. हुकमचंद पुत्र कोरीलाल
2. हीराचन्द पुत्र कोरीलाल
3. राजेश पुत्र लक्ष्मीचंद
4. हंसराज पुत्र लक्ष्मीचंद
5. मुकेश पुत्र लक्ष्मीचंद
6. रिद्वीचन्द पुत्र लक्ष्मीचंद जातियान मीना निवासीयान जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भरतलाल पुत्र कोरीलाल
2. अमृतलाल पुत्र कोरीलाल जातियान मीना निवासीयान जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली
3. ग्राम पंचायत जोडली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 17/21 निर्णय दिनांक 16.8.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री रिषीराम मीना

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 11.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.8.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खसरा न0 296 रकबा 11 विस्वा, 302 रकबा 8 विस्वा, 372 रकबा 17 विस्वा, 376 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 432 रकबा 0.4426 है0, 488 रकबा 9 विस्वा, 510 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 563 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 807 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, 1013 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 1014 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 1015 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 17 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम जोडली तहसील सपोटरा मे स्थित है। पारिवारिक सजरा अनुसार रामनारायण के दो संतान हुई थी मूडया व पून्या। पून्या के एक संतान हुई कोरया, कोरया के पांच संतान हुई। भरतलाल, अमृतलाल,लक्ष्मीचंद,हुकुम चंद हीराचंद। लक्ष्मीचंद फौत हो चुका है जिसके चार संतान है। राजेश,हंसराज,मुकेश,रिद्वीचंद है। कोरया की दो शादी हुई पहली पत्नि का नाम जस्सो था तथा दुसरी पत्नि का नाम मुडी था। पहली पत्नि की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

संतान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है तथा दुसरी पत्नि मूडी के तीन संतान हुई। लक्ष्मीचंद,हुकुमचंद व हीराचंद। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है एवं रामनारायण के वारिसान है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की है और उसी हिस्सा अनुसार फसल काश्त का लाभ लेते आ रहे है एवं कब्जा काश्त है। दिनांक 5.12.97 को पून्या ने अपने नाती भरतलाल को जरिये वसीयत कर दी गई तथा भरतलाल ने अपने पिता कोरया से साज करके अपने सगे भाईयो को धोखा देकर बाबा की जमीन को अपने नाम वसीयत द्वारा करा ली गई जबकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। सभी भाईयो का बराबर बराबर हिस्सा है। भरतलाल चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है। जिसने पुश्तैनी आराजीयात को अपने नाम करा लिया है। जो कानून के विरूद्व है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 5.12.97 को फर्जकारी द्वारा अपने पिता से साज कर अपने बाबा की आराजीयात को गलत तरीके से वसीयत द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम इन्द्राज करवा गया तथा पुश्तैनी आराजीयात को अपने भाईयो के हिस्से को हडपने की नियत से अपने नाम करवा लिया जो कानून के विरूद्व है। उक्त वसीयत शून्य व अकृत्य एवं प्रभावहीन कराये जाने के प्रार्थीगण हकदार है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 7.6.21 को नकल जमाबंदी प्राप्त की गई तो उक्त आराजीयात भरतलाल पुत्र कोरीलाल के नाम पाई गई। तब प्रार्थीगण ने भरतलाल से कहा कि उक्त आराजीयात को आपने अपने नाम क्यो करवाया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मैने तो करवा ली तुम्हारे मन मे आवे जो करो। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्याायलय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात को पैतृक नही मानने मे भारी भूल की है। पैतृक भूमि को वसीयत कराने का कोई अधिकार किसी को प्राप्त नही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज करने भारी भूल की है। विवादित भूमि को वसीयत कराने का अधिकार पून्या पुत्र रामनारायण को ना तो भरतलाल अप्रार्थीगण संख्या 1 के हक मे वसीयत करने का कोई अधिकार नही था चूकि विवादित भूमि पुश्तैनी थी इस बात पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया इस कारण आलोच्य निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि वसीयतकर्ता पून्या का लडका कोरया उर्फ कोरीलाल एवं कोरीलाल के पुत्र अपीलांट प्रार्थीगण है जो सजरा खानदान से बखूबी साबित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि पुश्तैनी है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट का प्रार्थना पत्र टी आई खारिज करने मे भारी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 5.12.97 को फर्जी तरीके से अपने पिता से साज करके अपने बाबा की आराजीयात को गलत तरीके से वसीयत द्वारा अपने नाम करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम इन्द्राज करवाया गया एवं पुश्तैनी आराजीयात को अपने भाईयो के हिस्से को हडपने की नियत से अपने नाम करवाया जाना कानून के विरूद्व है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त पुश्तैनी आराजीयात को खुर्द बुर्द कर दी गई तो अपीलांट प्रार्थीगण को ना तालाफी नुकसान होगा जिसका प्रार्थीगण किसी तरह से क्षतिपूर्ति नही कर सकेगे इसलिए तथाकथित वसीयत नामा को प्रभावहीन कराया जाना न्यायोचित है। आलोच्य निर्णय पक्षपात पूर्ण एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजीयात मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात पून्या पुत्र रामनारायण की स्वअर्जित व तन्हा खातेदारी की आराजीयात है। सेटलमेंट सवंत 2015 मे यह भूमि पून्या पुत्र रामनारायण मीना निवासी जोडली की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की दर्ज जमाबंदी रही है। इस आराजीयात से कोरीलाल का कोई खातेदारी संबंध नही रहा है। कोरीलाल पितामह पून्या से अलग रहते थे, अप्रार्थी भरतलाल पितामह पून्या के साथ रहता था और पून्या की सेवा करता था और करता रहा है। पून्या के पिता रामनारायण का दर्ज भूमि से कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध कभी नही रहा है। विवादित भूमि पून्या पुत्र रामनारायण की स्वअर्जित सम्पति है और विधि अनुसार पून्या को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि को पून्या ने विधिवत तौर पर रजिस्टर्ड वसीयत पत्र से अप्रार्थी /रेस्पो0 भरतलाल को हस्तान्तरित किया है। इस भूमि को अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 पून्या के साथ पून्या के जीवनकाल तक काश्त करता रहा है। इस भूमि से अपीलांट का एवं उनके पिता व पितामह कोरया उर्फ कोरीलाल का कोई खातेदारी संबंध नही रहा है। अपीलांट पिता कोरीलाल के साथ रहते थे और रेस्पो0 पितामह पून्या के साथ रहता रहा है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 पून्या का उत्तराधिकारी है। पून्या ने रेस्पो0 संख्या 1 के हक मे दिनांक 5.12.97 को रजिस्टर्ड वसीयत की है पिता कोरया से कोई साज नही की है ना ही अपने सगे भाईयो को धोखा दिया गया है ।पून्या का स्वर्गवास वसीयत के एक वर्ष पश्चात हुआ है। उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के हक मे पूर्ण जॉच कर नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे खोला गया है। उक्त वसीयत की जानकारी अपीलांट के पिता कोरीलाल को होते हुए भी आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है। वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अपीलांट का किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति नही है। विवादित आराजीयात पैतृक है या स्वअर्जित इसका निर्धारण दावे मे तय हो सकेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात को अपीलांट पैतृक सम्पति बताता है तथा रेस्पो0 उक्त आराजीयात को पून्या पुत्र रामनारायण की स्वअर्जित सम्पति होना बताता है। अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार पैतृक सम्पति को वसीयत करने का अधिकार नही है तथा रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन रहा कि स्वअर्जित सम्पति होने के कारण ही पून्या ने अपने जीवनकाल मे ही भूमि को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत की है। अपीलांट का कथन रहा कि उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पो0 भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए विवादित आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड यथस्थिति कायम की जावे। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपीलांट के उक्त कथन का सर्मथन करते हुए विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम करने हेतु अपनी मौखिक सहमति प्रकट की गई। इस प्रकार उभयपक्ष अधिवक्तागण की मौखिक सहमति के आधार पर विवादित आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम करने एवं रहन बेचान नही करने हेतु ताफैसला दावा उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित होने से अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 17/21 मे पारित निर्णय दिनांक 16.8.23 को निरस्त किया जाता है। उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा न0 296 रकबा 11 विस्वा, 302 रकबा 8 विस्वा, 372 रकबा 17 विस्वा, 376 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 432 रकबा 0.4426 है0, 488 रकबा 9 विस्वा, 510 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 563 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 807 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, 1013 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 1014 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 1015 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 17 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम जोडली तहसील सपोटरा की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 11.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner